उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या-6/1593/2017/22-1-2017-27/2013

लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, न्याय की अध्यक्षता में दिनांक 02, 03 व 04 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-3 में उल्लिखित निर्देशानुपालन में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-9/2016/1188/22-1-2016-27/2013, दिनांक 09-09-2016 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, विशेष सचिव को लम्बित वादों के समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया था। श्री सिंह विभाग से सम्प्रति स्थानान्तरित हो चुके हैं।

2- उक्त को दृष्टिगत रखते हुए महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद/ लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ की वेबसाइट (www.courtcases.up.nic.in) पर प्रदर्शित कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के लम्बित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति की समीक्षा, प्रभावी अनुश्रवण तथा उक्त के संबंध में न्याय विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु एतद्द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव, श्री दिनेश चन्द्र को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क	अधिकारी का नाम	दिनेश चन्द्र
ख	पदनाम	विशेष सचिव
ग	स्थान	कक्ष सं0-81, अधिकारी भवन
घ	मो0नं0-	9412445777
च	ई-मेल आई0डी0	karagaranubhag1@gmail.com

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 6/1593/2017(1)/22-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।

3- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के सूचनार्थ।

7- उप महानिदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, 3, 4, व 5

9- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।